अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

08 12.09.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** विविध अपील वाद सं० 74 आर० 15/2022–23 श्री विशु उरॉव पिता स्व० मादु उरॉव निवासी ग्राम डोरेयाटोली, होटवासी, पोस्ट बालालौंग, थाना नगड़ी जिला रॉची द्वारा प्रतिनिधि एवं पावर ऑफ एट्रोनी होल्डर सोनी तिर्की पिता श्री विशु उरॉव निवासी ग्राम डोरेयाटोली, होटवासी, पोस्ट बालालौंग, थाना नगड़ी जिला रॉची .... अपीलकर्त्ता बनाम दीपक तिग्गा पिता स्व० चुमनु तिग्गा निवासी होटवासी, थाना नगड़ी, जिला रॉची .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत अपील अपीलकर्त्ता ने विद्वान लगान वाद उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची के द्वारा परमिशन वाद सं० 2946 आर० 8 II/2022–23 मे पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत उत्तरवादी के द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत्त प्रस्तुत आवेदन का स्वीकृत करते हुए मौजा होटवासी, थाना सं० 232, जिला रॉची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 152 रकबा 15 डी० भूमि को खरीददार विजय उरॉच पिता बंधु उरॉव ग्राम होटवासी, थाना नगडी, जिला रॉची के साथ स्थानीय बाजार दर पर बिक्री करने का अनुमति प्रदान की गई। अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – मौजा होटवासी, थाना नगड़ी, जिला रॉची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 152 रकबा 32 डी० भूमि आर० एस० खतियान मे गोयन्दा उरॉव, बिरसा उरॉव एवं हारूण उरॉव पिता छोटका मंगरा उरॉव के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत गोयन्दा उरॉव नावल्द स्वर्गवास हो गये, जबकि बिरसा उरॉव अपने पीछे दो पुत्र मंगरा उरॉव एवं मसरू उरॉव	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

छोड़ गये। उपरोक्त मंगरा उरॉव अपने पीछे बंधना उरॉव एवं गोयन्दा उरॉव छोड़ गये, एवं उक्त मसरू उरॉव अपने पीछे दो पुत्र निन्हु उरॉव एवं हारूण उरॉव का छोड़कर स्वर्गवास हो गये। खतियानी रैयत हारूण उरॉव अपने पीछे तीन पुत्र बोदा उरॉव, लक्ष्मण उरॉव एवं माडु उरॉव छोड गये, जिसमे मे उक्त बोदा उरॉव अपने पीछे दो पुत्र चुमनु उरॉव एवं मिठुआ उरॉव छोड गये। चुमनु उरॉव अपने पीछे दत्तक पुत्र दीपक तिग्गा छोड़ गये, जबकि लक्ष्मण उरॉव नावल्द स्वर्गवास हो गये एवं माडु उरॉव अपने पीछे तीन पुत्र विशु उरॉव, बोदा उरॉव एवं मदरा उरॉव छोड़ की स्वर्गवास हो गये। उपरोक्त भूमि का अब तक बंटवारा नही हुआ है तथा वह खतियानी रैयत के उपरोक्त वंशजो के द्वारा संयुक्त रूप से धारित है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा नगड़ी पुलिस के समक्ष आवेदन समर्पित कर जानकारी प्रदान किया गया था कि उत्तरवादी बिना बंटवारा किये खतियानी भूमि को विक्रय करने का अवैध प्रयास कर रहे है, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभवना है। पुलिस के द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी के समक्ष धारा 107 भा० द० प्र० संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन अग्रसारित किया गया, जिसपर संज्ञान लेते हुए अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने धारा 107 के तहत्त केस सं० एम०–1745/2922 संधारित किया, जो लंबित है। अपीलकर्त्ता के द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, रॉची के समक्ष धारा 144 भा०द०प्र० संहिता के अन्तर्गत वाद सं० एम० 2698/2022 दायर किया, परन्तु उपरोक्त दोनो वाद के लंबित रहने के दौरान उत्तरवादी के द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत्त आवेदन प्रस्तुत कर मौजा होटवासी, थाना सं० 232, जिला रॉची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 152 रकबा 15 डी० भूमि को खरीददार विजय उरॉव पिता बंधु उरॉव ग्राम होटवासी, थाना नगड़ी, जिला रॉची के साथ स्थानीय बाजार दर पर बिक्री करने का अनुमति प्राप्त करने मे सफल हुए।

उत्तरवादी के द्वारा विद्वान निम्न न्यायलय के समक्ष यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि उन्हे बंटवारे मे प्राप्त हुआ है, परन्तु उनके

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

द्वारा बंटवारा संबंधी कोई भी कागजात दाखिल नही किया गया है। वस्तुतः उपरोक्त भूमि का अब तक बंटवारा नही हुआ है तथा वह खतियानी रैयत के उपरोक्त वंशजो के द्वारा संयुक्त रूप से धारित है तथा उत्तरवादी गलत तथ्यों के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि के विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त करने मे सफल हुए।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – उत्तरवादी दीपक तिग्गा, पिता स्व० चुमन उराँव खतियान रैयत हरूण उराँव का परपोता है जो ग्राम पंचायत कुदलौंग के मुखिया एवं आम जनता के द्वारा सत्यापित वंशावली से प्रमाणित होता है। अपीलकर्त्ता का दावा कि उत्तरवादी दीपक तिग्गा, चुमनु उराँव के दत्तक पुत्र है बिल्कुल गलत है। मौजा होटवासी, थाना नगड़ी, जिला राँची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 152 रकबा 32 डी० भूमि आर० एस० खतियान मे गोयन्दा उराँव, बिरसा उराँव एवं हारूण उराँव पिता छोटका मंगरा उराँव के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत गोयन्दा उराँव बिरसा उराँव एवं हारूण उराँव में से गोन्यदा उराँव नावल्द हुए बाकी दो रैयत बिरसा उराँव एवं हारूण उराँव के बीच में खाता नं0–10 कुल रकबा 7.37 एकड़ भूमि को आपसी मौखिक पारिवारिक समझौते के आधारा पर बंटवारा सम्पन्न हुआ, जिसमे दोनो पक्ष अपने–अपने हिस्सा मे प्राप्त भूमि पर शान्तिपूर्वक दखलकार होकर खेतीबारी करने लगे।

खतियानी रैयतो मे से उपरोक्त हारूण उराँव अपने पीछे तीन पुत्र 1) बोदा उराँव वो 2) लक्ष्मण उराँव वो 3) माडु उराँव को छोड़कर स्वर्गवास हुए। इन तीनो भाई में से लक्ष्मण उराँव नावल्द हुआ। पिता को प्राप्त भूमि को बोदा उराँव एवं माडु उराँव ने आपसी पारिवारिक समझौते के तहत्त बंटवारा कर लिया। उपरोक्त माडु उराँव के मृत्यु उनको प्राप्त भूमि को उनके पुत्र विशु उराँव, बोदा उराँव एवं मदरा उराँव ने उपरांत आपसी पारिवारिक समझौते के तहत्त बंटवारा कर लिया। उपरोक्त विशु उराँव ने धारा 46 छो० ना० अधिनियम, 1908 के तहत अपने हिस्से मे प्राप्त मौजा होटवासी के खाता सं०–10, प्लॉट

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

सं०—370 रकबा 18 डिसमिल, मध्ये 10 डिसमिल भूमि के विक्रय हेतु लगान वाद उपसमाहर्त्ता, सदर राँची से परमिशन वाद संख्या—600 आर० 8 II / 12—13 मे आदेश दिनांक 17.01.2013 द्वारा अनुमति प्राप्त कर पट्टा संख्या—336 दिनांक 15.03.2013 द्वारा उक्त भूमि नीलु लिण्डा पति—मंगल उराँव को हस्तांतरित कर दिया। उपरोक्त बंटवारे के आधार पर विशु उराँव के भाई मदरा उराँव, पिता माड़ु उराँव ने भी पट्टा सं०—1916 दिनांक 23.09.2022 एवं पट्टा सं०—1060 दिनांक 09.06.2018 के द्वारा तथा बोदा उराँव ने पट्टा सं०—1415 दिनांक 27.12.2016 एवं पट्टा सं०—1414 दिनांक 26.12.2016 द्वारा खतियानी भूमि को हस्तांतरित किया है। उपरोक्त तथ्य प्रमाणित करता है कि प्रश्नगत भूमि का बंटवारा खतियानी रैयत के वंशजो के मध्य हो चुका है।

अपीलकर्त्ता विशु उराँव के द्वारा एक शपथ—पत्र संख्या—95 दिनांक 19.05.2023 को निष्पादित करते हुए यह घोषणा किया है कि उत्तरवादीगण के द्वारा अपने हिस्से की भूमि की खरीद—बिक्री किया गया है एवं इसमे उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। पावरधारी सोनी तिर्की के द्वारा जबरन विवाद उत्पन्न किया जा रहा है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। परमिशन वाद सं० 2946 आर० 8 II/2022—23 मे पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान लागन वाद उपसमाहर्त्ता के द्वारा सभी औपचारिकताओं का पालन करते हुए अँचल पदाधिकारी नगड़ी की अनुशंसा के आधार पर उत्तरवादी को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत्त मौजा होटवासी, थाना सं० 232, जिला राँची के खाता सं० 10, प्लॉट सं० 152 रकबा 15 डी० भूमि को खरीददार विजय उरॉव पिता बंधु उरॉव ग्राम होटवासी, थाना नगड़ी, जिला राँची के साथ स्थानीय बाजार दर पर बिक्री करने का अनुमति प्रदान की गई। स्पष्ट है कि विक्रेता खतियानी रैयत के वंशज है तथा दोनो क्रेता एंव विक्रेता अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना वो जिला राँची के निवासी है।

अपीलकर्त्ता की ओर से प्रस्तुत बहस से स्पष्ट है कि उनका दावा

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

प्रश्नगत भूमि के स्वत्व, हित, अधिकार एवं हिस्सा बंटवारे से संबंधित है, जिसका न्यायिक निर्णय किसी राजस्व न्यायालय द्वारा एक सारांश कार्यवाही (summary proceeding) नही किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है तथा विद्वान लगान वाद उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची के द्वारा परमिशन वाद सं० 2946 आर० 8 ।।/2022–23 मे पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 को बहाल रखा जाता है।

इस आदेश की प्रति लगान वाद उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:58:21 -08:00
Location: 192.168.1.4